-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.11.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में वांछित तथा पुलिस अभिरक्षा से चकमा देकर फरार हुए अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त की निशांदेही पर हथकड़ी बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बबेरू श्री कृष्णकान्त त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में वांछित तथा पुलिस अभिरक्षा में चकमा देकर फरार हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि दिनांक 01.11.2026 को थाना बिसण्डा पर पुलिस अभिरक्षा से निगरानी के दौरान चकमा देकर फरार हो गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसण्डा में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा का तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में थाना बिसंडा पुलिस द्वारा सुरागरसी पतारसी, सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के माध्यम से अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे। इसी क्रम में आज दिनांक 04.11.2026 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त जनपद बांदा के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित कचहरी परिसर के आसपास न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए कोतवाली नगर क्षेत्र में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु भ्रमणशील टीम द्वारा अभियुक्त को कचहरी रोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की निशांदेही पर थाना कोतवाली देहात के ग्राम बरगहनी से हथकड़ी को बरामद किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- मलखान पुत्र कल्लू निवासी ग्राम महोखर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0स0- 172/26 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
- मु0अं0सं0- 479/26 धारा 261/262 बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 645/20 धारा 323/363/366/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0-119/25 धारा 125(b)/281 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0-177/24 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 38/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी थानाध्यक्ष बिसण्डा
2. व0उ0नि0 श्री श्याम बहादुर सिंह
3. उ0नि0 श्री गिरीश कुमार त्रिपाठी
4. हे0कां0 प्रदीप कुमार
5. कां0 जितेन्द्र कुमार
6. कां0 लक्ष्मण यादव
7. कां0 अजय पासी
8. कां0 विकास यादव